



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1948 (श10)

(सं० पटना 1146) पटना बुधवार 23 सितम्बर 2026

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना

21 सितम्बर 2026

सं० कारा/भवन-04/2025/9115—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) के अधीन बिहार राज्य की काराओं की भूमि पर खोले जाने वाले पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के परिचालन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

भाग-I

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ। -

- यह नियमावली कारा पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) परिचालन नियमावली, 2026 कही जाएगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

भाग-II

2. पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के परिचालन हेतु समयावधि :-

- पेट्रोल पंप का परिचालन ग्रीष्म कालीन अवधि (01 मार्च से 31 अक्टूबर) में प्रातः 06:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक प्रथम पाली के रूप में एवं अपराह्न 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक द्वितीय पाली के रूप में किया जायेगा।
- पेट्रोल पंप का परिचालन शीतकालीन अवधि (01 नवंबर से 28/29 फरवरी) में प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक प्रथम पाली के रूप में एवं अपराह्न 02:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक द्वितीय पाली के रूप में किया जायेगा।
- पेट्रोल पंप के परिचालन हेतु शिफ्ट परिवर्तन अपराह्न 02:00 बजे किया जायेगा।

भाग-III

3. पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के परिचालन हेतु कार्य बल :-

- (i) पेट्रोल पंप के परिचालन हेतु मुक्त कारागार में संसीमित बंदियों में से कार्य हेतु इच्छुक बंदी से कार्य लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के काराओं में संसीमित वैसे बंदी, जो मुक्त कारागार में स्थानांतरण की अर्हता रखते हैं, से पेट्रोल पंप के परिचालन का कार्य लिया जा सकेगा, परन्तु, ऐसे बंदी जो आदतन अपराधी हैं अथवा किसी संगीन मामले यथा भारतीय न्याय संहिता के अध्याय-(v) एवं (x) में वर्णित अपराध, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Excise Act एवं संगठित अपराध से अच्छादित हैं, तो उक्त बंदी पेट्रोल पंप के परिचालन संबंधी कार्य हेतु अर्हता नहीं रखेंगे।

- (ii) कारा में संसीमित बंदी जो पेट्रोल पंप के परिचालन संबंधी कार्य करेंगे, उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार संबंधित कारा, जिनमें वे संसीमित हैं, द्वारा बंदी पारिश्रमिक मद से किया जायेगा।

- (iii) प्रत्येक पेट्रोल पंप के परिचालन हेतु हर पाली में निम्नांकित कार्यबल होंगे :-

क्र0	कार्य बल का नाम	श्रेणी	संख्या	शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ
1	प्रबंधक	कुशल	01	स्नातक एवं समकक्ष उत्तीर्ण
2	कार्यालय स्टाफ	कुशल	02	स्नातक एवं समकक्ष उत्तीर्ण
3	सुपरवाइजर	अर्द्ध-कुशल	01	12वीं पास
4	सेल्समैन	अर्द्ध-कुशल	प्रति डिस्पेंसिंग यूनिट हेतु कम से कम 01 (प्रत्येक पंप पर न्यूनतम 05)	12वीं पास
5	एयर प्रेशर मैन	अकुशल	01	10वीं पास
6	सुरक्षा कर्मी	अकुशल	02	10वीं पास
7	रख-रखाव कर्मी	अकुशल	01	10वीं पास

- (iv) पेट्रोल पंप पर कार्य हेतु रखे गये बंदी शारीरिक रूप से स्वस्थ, कार्य करने को इच्छुक, सेवा भाव वाले एवं किसी भी प्रकार के व्यसन से पूर्णतः मुक्त होने चाहिए।
- (v) प्रथम पाली में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले बंदी सुबह बंदी खुली के उपरान्त प्रातः 06:00 बजे पेट्रोल पंप पर उपस्थित होंगे तथा कार्य करने के उपरान्त अपराह्न 02:00 बजे संगत कारा में वापस लौट जायेंगे। रात्रि पाली में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले बंदी अपराह्न 02:00 बजे पेट्रोल पंप पर उपस्थित होंगे।
- (vi) पेट्रोल पंप पर काम करने वाले बंदियों को कारा के नंबर बंदी के उपरान्त भी रात्रि पाली में ग्रीष्म कालीन अवधि (01 मार्च से 30 अक्टूबर) में रात्रि 10:00 बजे तक एवं शीतकालीन अवधि (01 नवंबर से 28/29 फरवरी) में रात्रि 09:00 बजे तक कार्य करने की अनुमति होगी। कारा के नंबर बंदी के समय उक्त बंदियों की गिनती कारा कर्मी द्वारा पेट्रोल पंप पर ही की जायेगी। रात्रि पाली के समाप्ति के उपरान्त पेट्रोल पंप के परिचालन संबंधी कार्य करने वाले बंदियों को उनके बंदी कक्ष में संसीमित कर दिया जायेगा।
- (vii) पेट्रोल पंप के परिचालन हेतु कार्यबल की संख्या में आश्यकतानुसार कमी/बढ़ोतरी करने की शक्ति महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना में निहित होगी।

भाग-IV

4. कार्य बल हेतु बंदियों का चयन एवं पर्यवेक्षण :-

- (i) मुक्त कारागार में संसीमित बंदियों के मामले में पेट्रोल पंप के परिचालन संबंधी कार्य हेतु बंदियों के चयन के लिए अनुशंसा संबंधित अधीक्षक, मुक्त कारागार द्वारा कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय को प्रेषित की जायेगी। महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ के अनुमोदन के उपरान्त बंदियों का चयन किया जायेगा।
- (ii) केन्द्रीय कारा, मंडल कारा, एवं उपकारा में संसीमित बंदियों के मामले में पेट्रोल पंप के परिचालन संबंधी कार्य हेतु बंदियों के चयन के लिए अनुशंसा संबंधित अधीक्षक द्वारा कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय को प्रेषित की जायेगी। कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय में बंदियों के चयन संबंधी प्राप्त अनुशंसाओं की समीक्षा निरीक्षणालय स्तर पर गठित चयन

समिति द्वारा की जायेगी एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ के अनुमोदन के उपरान्त ही बंदियों का चयन किया जायेगा।

- (iii) पेट्रोल पंप के परिचालन के प्रारम्भिक दौर में अथवा कार्य हेतु योग्य बंदियों के अभाव में परिचालन की अनिवार्यता को दृष्टिपथ में रखते हुए बाह्य श्रोत से कार्य बल प्राप्त करने की शक्ति महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना में निहित होगी। बाह्य श्रोत से कार्य बल वित्त नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले परिपत्रों के आलोक में प्राप्त की जायेगी।
- (iv) बाह्य श्रोत से प्राप्त कार्य बल के पारिश्रमिक का भुगतान पेट्रोल पंप के परिचालन से प्राप्त लाभ की राशि से किया जायेगा। बाह्य श्रोत से प्राप्त कार्य बल को पारिश्रमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक के आलोक में किया जायेगा।
- (v) पेट्रोल पंप के परिचालन से संबंधित बंदियों के कार्य के दौरान पर्यवेक्षण कार्य हेतु एक उच्च कक्षपाल एवं दो कक्षपाल की प्रतिनियुक्ति संबंधित काराधीक्षक द्वारा की जायेगी। बंदियों के पर्यवेक्षण कार्य की जवाबदेही प्रतिनियुक्त कर्मियों की होगी तथा इसका नियमित अनुश्रवण संबंधित काराधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

भाग-V

5. पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के परिचालन हेतु सामग्री की अधिप्राप्ति :-

- (i) संबंधित काराधीक्षक पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री एवं उपलब्ध स्टॉक का आकलन कर आवश्यकतानुसार पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पाद मांग (Product Indent) संबंधित पेट्रोलियम कम्पनी से करेंगे।
- (ii) पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम उत्पादों के आपूर्ति के समय काराधीक्षक स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सहायक अधीक्षक से अन्यून पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।
- (iii) पेट्रोलियम उत्पादों की अधिप्राप्ति के उपरान्त राशि का भुगतान संबंधित पेट्रोलियम कम्पनी को बैंक खाते के माध्यम से Online RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा। पेट्रोलियम उत्पादों की लागत राशि एवं इस पर लगने वाले अन्य किसी प्रकार के शुल्क अथवा कर के भुगतान की जवाबदेही काराधीक्षक की होगी।

भाग-VI

6. पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के परिचालन से प्राप्त लाभ :-

- (i) पेट्रोल पंप के परिचालन से प्रति माह पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राशि में से उस माह पेट्रोलियम उत्पादों के क्रय पर लागत राशि, चुकाये जाने वाले License fee की राशि तथा अन्य शुल्क/कर के भुगतान किये जाने के उपरान्त शेष उपलब्ध राशि लाभ की राशि मानी जायेगी।
- (ii) लाभ की राशि में से प्रत्येक माह 10 प्रतिशत की राशि बंदी कल्याण निधि में हस्तांतरित की जायेगी जिसका उपयोग कारा में संसीमित बंदियों एवं महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के कल्याण हेतु किया जायेगा।
- (iii) लाभ की राशि में से शेष 90 प्रतिशत राशि में से पेट्रोल पंप के परिचालन पर होने वाले छोटे मोटे व्यय (निर्धारित सीमा अधिकतम रु 30,000/- प्रति माह) की राशि एवं बाह्य श्रोत से प्राप्त कार्यबल के पारिश्रमिक पर होने वाले व्यय को घटाने के उपरान्त शेष राशि प्रति माह राजस्व शीर्ष में 05 तारीख तक जमा कर दी जायेगी। प्रत्येक माह इसकी सूचना संबंधित काराधीक्षक द्वारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ को समर्पित की जायेगी।

भाग-VII

7. पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के परिचालन हेतु वित्तीय संव्यवहार के लिए बैंक खाता:-

- (i) वित्तीय संव्यवहार हेतु अनुसूचित सरकारी बैंक में एक चालू खाता खोला जायेगा, जो संबंधित कारा अधीक्षक के पदनाम से संचालित होगा।
- (ii) बैंक खाता के परिचालन की पूर्ण जवाबदेही संबंधित काराधीक्षक की होगी।

- (iii) प्रथम पाली में पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री से प्राप्त नगद राशि उसी दिन बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी।
- (iv) द्वितीय पाली में पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री से प्राप्त नगद राशि संबंधित कारा के अधीक्षक द्वारा अपने अधीन सुरक्षित रखी जाएगी तथा अगले दिन बैंक खाते में पूर्वाहन में ही जमा करा दी जायेगी।
- (v) बैंक अवकाश अथवा बैंक द्वारा किसी कारण से कार्य नहीं करने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री से प्राप्त नगद राशि बैंक खाते में पूर्वाहन में ही जमा करा दी जायेगी।
- (vi) बैंक से वित्तीय संव्यवहार केवल और केवल कारा के नियमित पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।
- (vii) बैंक में नगद राशि जमा करने हेतु सुरक्षा व्यवस्था कारा अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- (viii) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से प्राप्त नगद राशि के जमा एवं निकासी का पूरा ब्योरा रखने के उद्देश्य से एक पृथक रोकड़ बही का संधारण किया जायेगा। संबंधित काराधीक्षक द्वारा प्रतिदिन रोकड़ बही में की गई प्रवृष्टियों की जाँच कर हस्ताक्षर अंकित किया जायेगा।
- (ix) प्रतिदिन होने वाली बिक्री का लेखा-जोखा अधीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सहायक अधीक्षक से अन्यून्य पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। अधीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सहायक अधीक्षक से अन्यून्य पदाधिकारी पेट्रोल पंप के प्रबंधक से प्रथम पाली की समाप्ति के उपरान्त एवं रात्रि पाली में पेट्रोल पंप बंद होने के बाद हुई बिक्री का लेखा-जोखा का हिसाब रखा जायेगा।
- (x) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का किसी भी परिस्थिति में खर्च किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

भाग—VIII

8. अंकेक्षण :-

- (i) प्रत्येक तीन माह पर पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री की राशि, पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद पर व्यय की गयी राशि, प्राप्त होने वाली लाभ की राशि एवं इसके व्यय, राजस्व में जमा होने वाली लाभ की राशि, पेट्रोल पंप से प्राप्त अन्य किसी प्रकार की राशि तथा संधारित बैंक खाते आदि का अंकेक्षण किसी Chartered Accountant के द्वारा कराने की जवाबदेही संबंधित अधीक्षक की होगी।
- (ii) Chartered Accountant की नियुक्ति/चयन महानिरीक्षक के द्वारा विहित नियमों के अधीन किया जायेगा।
- (iii) Chartered Accountant को Audit के लिए राशि का भुगतान लाभांश की राशि से किया जायेगा।

भाग—IX

9. दैनिक रख-रखाव हेतु व्यय की शक्ति :-

- (i) पेट्रोल पंप के परिचालन पर होने वाले छोटे-मोटे खर्च हेतु एकमुश्त रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र) तक एवं अधिकतम रुपये 30,000/- (तीस हजार मात्र) प्रतिमाह व्यय करने हेतु काराधीक्षक सक्षम होंगे।
- (ii) किसी कारणवश यदि एक दिन में एकमुश्त रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार मात्र) से अधिक राशि एवं प्रतिमाह मासिक अधिकतम 30,000 से अधिक राशि खर्च करने की स्थिति में कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना से अनुमोदन/पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा।
- (iii) व्यय किये जाने वाले प्रत्येक राशि का रिकार्ड रखा जाएगा एवं यथा संभव इसकी प्रविष्टि उसी समय रोकड़ पंजी में कर दी जायेगी।

भाग—X

10. कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय का नियंत्रण :-

- (i) पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के संचालन हेतु पेट्रोलियम कंपनी के साथ Memorandum of Understanding (MoU) के निष्पादन की कार्यवाही महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ द्वारा की जाएगी।
- (ii) पेट्रोल पंप के प्राप्त लाभांश की राशि में से बंदी कल्याण निधि में हस्तांतरित राशि का लेखा-जोखा कारा निरीक्षणालय स्तर पर सहायक कारा महानिरीक्षक (मु०), कारा एवं सुधार सेवाएँ द्वारा रखा जायेगा।
- (iii) कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय स्तर पर नोडल पदाधिकारी के रूप में सहायक कारा महानिरीक्षक (मु०), कारा एवं सुधार सेवाएँ को नामित किया जायेगा जिनके द्वारा पेट्रोल पंप से संबंधित सभी कार्यों का पर्यवेक्षण कार्य किया जायेगा तथा इससे संबंधित मासिक प्रतिवेदन महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ को उपलब्ध कराया जायेगा।

भाग—XI

11. आवश्यक निदेश :-

- (i) पेट्रोल पंप एवं इसके आस-पास के परिसर की साफ-सफाई प्रतिदिन सुनिश्चित की जायेगी।
- (ii) पेट्रोल पंप पर महिला एवं पुरुष प्रसाधन, पीने योग्य पानी, दूरभाष, प्राथमिक उपचार, रेडियेटर वाटर, अग्निशमन यंत्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पेट्रोलियम कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जायेगी।
- (iii) पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम उत्पाद लाने वाले टैंकर चालकों पर समुचित निगरानी रखी जायेगी।
- (iv) संबंधित पेट्रोलियम कंपनी से ताल-मेल स्थापित कर यथा संभव टैंकरों में तेल सुबह-सुबह भरवाना सुनिश्चित किया जाय। टैंकर अच्छी तरह से खाली करवाने की जवाब देही संबंधित अधीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सहायक अधीक्षक से अन्यून पदाधिकारी की होगी जो स्वयं उपस्थित हो कर यह कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (v) पेट्रोल पंप पर कार्यरत सभी कर्मियों एवं बंदियों का पूर्ण ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जायेगा।
- (vi) पेट्रोल पंप पर हर प्रकार के वस्तुओं का स्टॉक पंजी संधारित किया जायेगा। पेट्रोल पंप का भौतिक निरीक्षक प्रतिमाह काराधीक्षक द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिमाह कारा निरीक्षणालय को समर्पित की जायेगी।
- (vii) कारा निरीक्षणालय के पदाधिकारियों द्वारा पेट्रोल पंप का निरीक्षण प्रत्येक तीन माह पर किया जायेगा तथा संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ को समर्पित किया जायेगा।
- (viii) पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के परिचालन हेतु संबंधित पेट्रोलियम एजेंसियों द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का अनुपालन किया जायेगा।

भाग—XII

12. प्रकीर्ण:-

- (i) यदि इस नियमावली किसी भी उपबंध के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो इसे कारा निरीक्षणालय को निर्देशित किया जायेगा। कारा निरीक्षणालय द्वारा उत्पन्न कठिनाई का निराकरण महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ द्वारा निर्गत आदेश द्वारा किया जायेगा।
- (ii) पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर नियमों की समीक्षा एवं आवश्यक संशोधन करने की शक्ति महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ में निहित होगी।
- (iii) इस नियमावली के व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय को भेजी जायेगी तथा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ का निर्णय अंतिम होगा।
- (iv) किसी अन्य नियमावली में इस नियमावली में प्रतिकूल किसी बात के होने पर भी इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर,
अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

The 21st September 2026

No. Kara/Bhawan-04/2025/9115—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following rules for the operation of Petroleum Retail Outlets (Petrol Pumps) to be established on the land of prisons in the State of Bihar under the Inspectorate of Prison and Correctional Services, Home Department (Prison):-

Part-I General

1. Short Title, Extent and Commencement:-

- (i) These rules shall be called the "**Prison Petroleum Retail Outlet (Petrol Pump) Operation Rules, 2026.**"
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (iii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Part-II

2. Time Duration for the Operation of Petroleum Retail Outlet (Petrol Pump):-

- (i) During the summer period (01 March to 31 October), the petrol pump shall be operated in two shifts: the first shift from 06:00 AM to 02:00 PM and the second shift from 02:00 PM to 10:00 PM.
- (ii) During the winter period (01 November to 28/29 February), the petrol pump shall be operated in two shifts: the first shift from 07:00 AM to 02:00 PM and the second shift from 02:00 PM to 09:00 PM.
- (iii) The shift change for the operation of the petrol pump shall take place at 02:00 PM.

Part-III

3. Workforce for the Operation of Petroleum Retail Outlets (Petrol Pumps):-

- (i) For the operation of the petrol pump, the willing Prisoners of the Open Jail shall be deployed. In addition, prisoners confined in the states prisons who qualify for transfer to Open Jails may also be deployed for the operation of the petrol pump.

Provided that prisoners who are habitual offenders or are covered under serious cases, such as offenses described in Chapters (V) and (X) of the *Indian Penal Code*, the *Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985*, the *Excise Act*, and organized crime, shall not be eligible for work related to the operation of the petrol pump.

- (ii) The wages of the prisoners who will work at petrol pump shall be paid as per rules by the respective prison where they are confined, from the 'prisoner wages' head.
- (iii) The workforce for the operation of each petrol pump in every shift shall be as follows:

Sl. No.	Name of Workforce	Category	Number	Educational & Other Qualifications
1	Manager	Skilled	01	Graduation and equivalent pass
2	Office Staff	Skilled	02	Graduation and equivalent pass
3	Supervisor	Semi-Skilled	01	12th Pass
4	Salesman	Semi-Skilled	At least 01 per dispensing unit (minimum 05 per pump)	12th Pass
5	Air Pressure Man	Unskilled	01	10th Pass
6	Security Personnel	Unskilled	02	10th Pass
7	Maintenance Worker	Unskilled	01	10th Pass

- (iv) The prisoners deployed for work at the petrol pump must be physically healthy, willing to work, service-oriented, and completely free from any form of addiction.
- (v) Prisoners working in the first shift at the petrol pump shall report to the petrol pump at 06:00 AM after the morning prison opening "Bandi Khuli" and shall return to the respective prison after completing their work at 02:00 PM. Prisoners working in the night shift shall report to the petrol pump at 02:00 PM.
- (vi) Prisoners working at the petrol pump shall be allowed to work in the night shift even after the general lock-up time "Number Bandi" of the prison, up to 10:00 PM during the summer period (01 March to 31 October) and up to 09:00 PM during the winter period (01 November to 28/29 February). At the time of the prison's lock-up, the headcount of the said prisoner shall be taken by the Jail staff at the petrol pump itself. After the conclusion of the night shift, the prisoners working at the petrol pump shall be confined to their respective prison wards.
- (vii) The power to decrease/increase the strength of the workforce for the operation of the petrol pump as per requirement shall vest in the Inspector General, Prison and Correctional Services, Bihar, Patna.

Part-IV

4. Selection and Supervision of Prisoners for Workforce:-

- (i) In the case of prisoners confined in open prisons, recommendations for the selection of prisoners for work related to the operation of petrol pumps shall be forwarded by the concerned Superintendent of the Open Prison to the Inspectorate of Prison and Correctional Services. The selection of prisoners shall be done after the approval of the Inspector General, Prison and Correctional Services.
- (ii) In the case of prisoners confined in Central Jails, District Jails, and Sub-Jails, recommendations for the selection of prisoners for work related to

- the operation of petrol pumps shall be forwarded by the concerned Superintendent to the Inspectorate of Prison and Correctional Services. The recommendations received regarding the selection of prisoners shall be reviewed at the Inspectorate of Prison and Correctional Services level by a Selection Committee constituted for this purpose, and the selection of prisoners shall be done only after the approval of the Inspector General, Prison and Correctional Services.
- (iii) Keeping in view the necessity of operation during the initial phase of petrol pump operations or due to the lack of eligible prisoners for work, the power to outsource the workforce from external sources shall vest in the Inspector General, Prison and Correctional Services, Bihar, Patna. The workforce from external sources shall be procured as per Finance Rule and Circulars issued by Finance Department time to time.
 - (iv) The remuneration of the workforce procured from external sources shall be paid out of the profit amount received from the operation of the petrol pump. The remuneration to the workforce procured from external sources shall be paid as per "Minimum wages" notified by Labour Resources Department.
 - (v) For the supervision of prisoners during the work at Petrol Pump, One Head Warder and two Warders shall be deputed at the Petrol Pump by the concerned Superintendent of the Prison. The Deputed Staff shall be responsible for the supervision of the Prisoners and shall be monitored regularly by concerned Jail Superintendent.

Part-V

5. Procurement of Materials for the Operation of Petroleum Retail Outlets (Petrol Pumps):-

- (i) The concerned Prison Superintendent shall assess the sale of petroleum products and available stock at the petrol pump and raise a Product Indent with the concerned petroleum company as per requirement.
- (ii) At the time of delivery of petroleum products at the petrol pump, the Jail Superintendent himself or an officer not below the rank of Assistant Superintendent authorized by him shall remain present.
- (iii) After the procurement of petroleum products, the payment of the amount shall be made to the concerned petroleum company through bank accounts via online RTGS/NEFT. The responsibility for the payment of the cost of petroleum products and any other type of fee or tax applicable thereon shall lie with the Jail Superintendent.

Part-VI

6. Profits received from the Operation of Petroleum Retail Outlets (Petrol Pumps):-

- (i) The amount remaining from the monthly sale amount of petroleum products after deducting the procurement cost of petroleum products for that month, the License fee to be paid, and other fees/taxes, shall be considered as the profit amount.

- (ii) Out of the profit amount, 10 percent shall be transferred every month to the Prisoner Welfare Fund, which shall be used for the welfare of prisoners confined in prisons and children living with female prisoners.
- (iii) From the remaining 90 percent of the profit amount, after deducting minor expenditures incurred on the operation of the petrol pump (up to a maximum prescribed limit of Rs. 30,000/- per month) and expenditures incurred on the remuneration of the outsourced workforce, the residual amount shall be deposited into the Revenue Head by the 5th date of every month. Information regarding this shall be submitted every month by the concerned Jail Superintendent to the Inspector General, Prison and Correctional Services.

Part-VII

7. Bank Account for Financial Transactions for the Operation of Petroleum Retail Outlets (Petrol Pumps):-

- (i) A current account shall be opened in a scheduled government bank for financial transactions, which shall be operated under the designation of the concerned Jail Superintendent.
- (ii) Full responsibility for the operation of the bank account shall lie with the concerned Jail Superintendent.
- (iii) Cash received from the sale of petroleum products in the first shift shall be deposited into the bank account on the very same day.
- (iv) Cash received from the sale of petroleum products in the second shift shall be kept safely under the custody of the Superintendent of the concerned Jail and shall be deposited into the bank account on the next day during the forenoon itself.
- (v) In the event of bank holidays or if the bank is non-functional for any reason, the cash received from the sale of petroleum products shall be deposited into the bank account on the next working day during the forenoon itself.
- (vi) Financial transactions with the bank shall be carried out solely and exclusively by the regular officers/personnel of the Jail.
- (vii) Security arrangements for depositing cash in the bank shall be provided by the Jail Superintendent.
- (viii) For the purpose of maintaining a complete record of deposits and withdrawals of cash received from the sale of petroleum products, a separate Cash Book shall be maintained. The concerned Jail Superintendent shall daily verify and sign the entries made in the Cash Book.
- (ix) The accounting of daily sales shall be managed by the Jail Superintendent or an officer not below the rank of Assistant Superintendent authorized by him. The Jail Superintendent or an authorised officer shall keep account of the sales from the manager of the petrol pump after the completion of the first shift and after the closing of the petrol pump in the night shift.
- (x) Under no circumstances shall the amount received from the sale of petroleum products be spent under any other head.

Part-VIII**8. Audit:-**

- (i) It shall be the responsibility of the concerned Jail Superintendent to get the audit of the sale amount of petroleum products, expenditure on purchase of petroleum products, profit earned and its expenditures, profit deposited in revenue, any other amount received from the petrol pump, and the maintained bank account, etc., conducted by a Chartered Accountant every three months.
- (ii) The appointment/selection of the Chartered Accountant shall be done by the Inspector General of Prison and Correctional Services under the prescribed rules.
- (iii) The payment to the Chartered Accountant for the audit shall be made out of the dividend/profit amount.

Part-IX**9. Financial Powers for Daily Maintenance Expenses:-**

- (i) The Jail Superintendent shall be competent to spend up to a sum of Rs. 15,000/- (Fifteen Thousand only) at a time, and a maximum of Rs. 30,000/- (Thirty Thousand only) per month for minor expenses incurred in the operation of the petrol pump.
- (ii) If, for any reason, an amount exceeding a sum of Rs. 15,000/- (Fifteen Thousand only) in a single day or exceeding the monthly maximum of Rs. 30,000/- needs to be spent, it shall be necessary to obtain prior approval/permission from the Inspector General, Prisons and Correctional Services, Bihar, Patna.
- (iii) A record of every amount expended shall be maintained, and as far as possible, its entry shall be made simultaneously in the cash register.

Part-X**10. Control of the Inspectorate of Prison and Correctional Services:-**

- (i) The execution of the Memorandum of Understanding (MoU) with the petroleum company for the operation of the Petroleum Retail Outlet (Petrol Pump) shall be carried out by the Inspector General, Prisons and Correctional Services.
- (ii) The accounts of the amount transferred to the Prisoner Welfare Fund out of the profit/dividend amount received from the petrol pump shall be maintained at the Inspectorate of Prisons and Correctional Services level by the Assistant Inspector General (HQ.), Prisons and Correctional Services.
- (iii) The Assistant Inspector General (HQ), Prisons and Correctional Services, shall be designated as the Nodal Officer at the Inspectorate of Prison and Correctional Services level, who shall supervise the works related to the petrol pump and provide a monthly report related to this to the Inspector General, Prisons and Correctional Services.

Part-XI**11. Necessary Directions:-**

- (i) Cleanliness of the petrol pump and its adjoining premises shall be ensured daily.
- (ii) The availability of male and female toilets, potable drinking water, telephone, first aid, radiator water, fire extinguishers, and other necessary facilities at the petrol pump shall be ensured in accordance with the standards prescribed by the petroleum company.
- (iii) Proper surveillance shall be maintained over the tanker drivers bringing petroleum products to the petrol pump.
- (iv) In coordination with the concerned petroleum company, it should be ensured as far as possible that the oil in tankers is filled early in the morning. The responsibility of getting the tankers thoroughly emptied shall rest with the concerned Jail Superintendent or an officer not below the rank of Assistant Superintendent authorized by him, who shall ensure this work is done by remaining physically present.
- (v) A complete duty roster of all personnel and prisoners working at the petrol pump shall be prepared.
- (vi) A stock register for all types of items at the petrol pump shall be maintained. Physical inspection of the petrol pump by the Jail Superintendent every month shall be mandatory. The inspection report shall be submitted to the Inspectorate of Prison and Correctional Services every month.
- (vii) Inspection of the petrol pump shall be conducted in every three months by the officials of the Inspectorate of Prison and Correctional Services and the respective inspection report shall be submitted to the Inspector General, Prisons and Correctional Services.
- (viii) The Standard Operating Procedure (SOP) issued by the concerned petroleum agencies for the operation of the Petroleum Retail Outlet (Petrol Pump) shall be complied with.

Part-XII**12. Miscellaneous:-**

- (i) If any difficulty arises in the implementation of any provision of these rules, it shall be referred to the Inspectorate of Prison and Correctional Services. The difficulty arisen shall be resolved by the Inspectorate of Prison and Correctional Services through an order issued by the Inspector General, Prison and Correctional Services.
- (ii) For the purpose of ensuring the successful operation of the Petroleum Retail Outlet (Petrol Pump), the power to review the rules from time to time and make necessary amendments shall vest in the Inspector General, Prison and Correctional Services.
- (iii) All questions related to the interpretation of these rules shall be sent to the Inspectorate of Prison and Correctional Services, and the decision of the Inspector General, Prison and Correctional Services, shall be final.
- (iv) Notwithstanding anything contrary contained in any other rules, the provisions of these rules shall have an overriding effect.

By order of the Governor of Bihar,
Sanjeev Jamuar,
Additional Secretary-cum-Director,
(Admin.)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1146-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>